सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय
लोरडी पण्डितजी, जोधपुर (राज.)–**342037**

E-mail: registrar@policeuniversity.ac.in **Website:** www.policeuniversity.ac.in

Ref. No. F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-VI/ 2914 **Dated:** 27/9/2023

–: कार्यवाही विवरण :–

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध मण्डल की **18**वीं बैठक, दिनांक **22 सितम्बर, 2023** को दोपहर **12.30** बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, विश्वविद्यालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. श्री आलोक त्रिपाठी, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्री रवि दत्त, आई.पी.एस., प्रति कुलपति, एसपीयूपी, जोधपुर, – ऑनलाइन
3. श्रीमती सीमा कुमार, संयुक्त शासन सचिव, गृह
   (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान) – ऑनलाइन
4. श्री दिनेश कुमार, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर
   (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान) – ऑनलाइन
5. श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, पूर्व महानिदेशक पुलिस, राजस्थान – ऑनलाइन
6. श्री पी. रामजी, आई.पी.एस., निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर – ऑनलाइन
7. डॉ. ए.के. गहलोत, पूर्व कुलपति, RAJUVAS, बीकानेर
8. प्रो. एस.एस. टाक, प्रोफेसर (से.नि.), जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
9. प्रो. (डॉ.) राम सिंह मीणा, सदस्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
   एवं सह आचार्य, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
10. श्री सिद्धार्थ चारण, कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

बैठक में निम्न सदस्य अनुपस्थित रहे :–

1. श्री लक्ष्मण मीणा, माननीय विधायक, बस्सी
2. श्री रूपाराम, माननीय विधायक, जैसलमेर
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
4. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. प्रो. शान्तनु चौधरी, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
6. प्रो. हरप्रीत कौर, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। माननीय कुलपति महोदय ने डॉ. डिम्पल पवार आर्य, उप कुलसचिव महोदया को बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया तथा सदस्यों की अनुमति उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

बिन्दु संख्या– 01	:	**विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 17वीं बैठक दिनांक17 अगस्त, 2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। (संलग्नक – अ)** **निर्णय** : प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
बिन्दू संख्या – 02	:	**विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 17वीं बैठक दिनांक 17 अगस्त, 2023 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई अनुपालना का विवरण। (संलग्नक – ब)** प्रो. एस.एस. टाक, सदस्य महोदय के सुझाव पर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के 2.00 करोड़ रूपयों के गबन के संबंध में संबंधित विभाग को बारम्बार कार्यवाही हेतु स्मरण पत्र भिजवाए जाये तथा इस संबंध में प्रगति एवं जानकारी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की जावे। भविष्य में प्रत्येक प्रबंध बोर्ड में गबन का उक्त प्रकरण परमानेंट एजेण्डा के रूप में शामिल हो। **निर्णय** : प्रबंध बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 17 अगस्त, 2023 के कार्यवाही विवरणानुसार अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।
बिन्दू संख्या – 03	:	विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के कार्यवाही विवरण पर विचार। **(संलग्नक – स)** **निर्णय** : बैठक में विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। यह निर्णय किया गया कि यू. जी.सी. पीएच.डी., 2022 नियमों को पूर्ण रूप से अंगीकार (Adopt) करने हेतु अकादमिक परिषद् के समक्ष विचार किये जाने का प्रस्ताव दिया।

बिन्दू संख्या – 04	:	**विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–28(1)(छ) के प्रावधानान्तर्गत वित्त समिति की बैठक हेतु संकाय सदस्यों में से दो सदस्यों के मनोनयन पर विचार।** प्रो. एस.एस.टाक, सदस्य महोदय द्वारा वित्त समिति की बैठक हेतु संकाय सदस्यों में से दो सदस्यों के मनोनयन पर सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों का समिति में मनोनयन वरिष्ठता एवं रोटेशन अनुसार किया जाना चाहिये। **निर्णय** : प्रबंध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–28(1)(छ) के प्रावधानान्तर्गत वित्त समिति की बैठक हेतु संकाय सदस्यों में से निम्नलिखित दो सदस्यों का सर्वसम्मति से मनोनयन किया गया :– 1. डॉ. अभिषेक शर्मा, सहायक आचार्य 2. डॉ. मीनाक्षी पूनिया, सहायक आचार्य
बिन्दू संख्या – 05	:	**वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(23)वित्त/नियम/2023 दिनांक 31.08.2023 की पालना में विश्वविद्यालय के एकाकी पदों के पदोन्नति की प्रक्रिया का प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन।** **निर्णय** : विश्वविद्यालय के एकाकी पदों, जिनको उक्त नियमानुसार पदोन्नति दी जानी है, की जानकारी बोर्ड के समक्ष रखी जाए। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(23)वित्त/नियम/2023 दिनांक 31.08.2023 की पालना में विश्वविद्यालय के एकाकी पदों के पदोन्नति नियमों का प्रबंध बोर्ड द्वारा सवर्तसम्मति से अपनाए जाने का अनुमोदन किया गया।
SUPPLEMENTARY AGENDA		
बिन्दू संख्या – 01		**पेपर लीक प्रकरण में डॉ. विजय सिंह, सहायक आचार्य (निलंबित) के संबंध में डीसीपी (पूर्व), जोधपुर से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।** **निर्णय** : डी.सी.पी. जोधपुर (पूर्व) द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पत्र संख्या स.3()पु. उपा.जोध/ अपशा/एस.आर.सी/2023/13535–38 दिनांक 19.09.2023 के तहत प्रकरण संख्या 141 दिनांक 16.08.2022 जुर्म धारा 4, 5/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम 1992 पुलिस थाना करवड़ मे आरोपी डॉ.विजय सिंह (निलंबित) के खिलाफ

		अभियोजन स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया गया। प्रकरण में डॉ. विजय सिंह, सहायक आचार्य (निलंबित) पर परीक्षा की पूर्व रात्रि BA in Social Science के प्रथम सेमेस्टर के Banking and Finance परीक्षा पेपर लीक किये जाने का आरोप है। सभी सदस्यों द्वारा उपरोक्त अनुसन्धानिक प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों पर गहन विचार विमर्श एवं विवेचन किया गया। डॉ. विजय सिंह (निलंबित) द्वारा अपने कर्तव्यों के दौरान उक्त अपराध कारित किया है जिसके अभियोजन की स्वीकृति देने की सहमति सभी सदस्यों द्वारा प्रदान की गई। प्रो. एस एस टाक ने इस प्रकरण से स्वंय को Abstain रखा। अतः सर्वसम्मति से डॉ.विजय सिंह (निलंबित) के विरुद्ध प्रकरण संख्या 141 दिनांक 16.08.2022 जुर्म धारा 4, 5/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम 1992 में डी.सी.पी. जोधपुर (पूर्व) द्वारा चाही गई अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव,
एसपीयूपी, जोधपुर